

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया (बलिया), मैनपुरी (मैनपुरी), सोरो (कासगंज), गुरसराय (झांसी), महाराजगंज (महाराजगंज) एवं आजमगढ़।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक: 26 फरवरी, 2014

विशय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित 07 नगर पालिका परिषदों में सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 194.77 (₹ एक करोड़ चौरानवबे लाख सत्तहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹ 97.385 (रूपये सन्तानबे लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	बलिया	नगर पालिका परिषद, बलिया	25.22	12.61
2	मैनपुरी	नगर पालिका परिषद, मैनपुरी	37.92	18.96
3	कासगंज	नगर पालिका परिषद, सोरो	34.96	17.48
4	झांसी	नगर पालिका परिषद, गुरसराय	20.70	10.35
5	महाराजगंज	नगर पालिका परिषद, महाराजगंज	45.67	22.835
6	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़	30.30	15.15
		योग-	194.77	97.385

(₹ सन्तानबे लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2014 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित

वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1042/दस-2014 दिनांक: 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,



(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

संख्या-62(1)/नौ-5-2014-276बजट/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बलिया, आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं आजमगढ़।
3. जिलाधिकारी, बलिया, आगरा, अलीगढ़, झांसी, महाराजगंज एवं आजमगढ़।
4. कोषाधिकारी, बलिया, मैनपुरी, कासगंज,, झांसी, महाराजगंज एवं आजमगढ़।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

शसनादेश संख्या-26/नो-5-2014-276बजट/2013, दिनांक: 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक

क्र. स.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बलिया	नगर पालिका परिषद, बलिया	1. चौक से पानी टंकी चौराहा तक कासिम बाजार तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा मार्ग सुधार	25.22	
			योग-	25.22	12.61
2	मैनपुरी	नगर पालिका परिषद, मैनपुरी	1. वार्ड बागवान में राजकुमारी के मकान से मुकेश के मकान तक सी.सी. ट्रेंच एवं इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण।	4.93	
			2. वार्ड उझपट्टी में विजय शाक्य में मकान से अफजल के मकान तक और शालू के मकान से रैजादा रोड तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	4.86	
			3. वार्ड अग्रवाल में राम शंकर यादव के मकान से श्याम सुन्दर के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	3.58	
			4. वार्ड अग्रवाल सिद्धगोपाल सक्सेना के मकान से संजीव यादव के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	1.77	
			5. वार्ड दरीबा में राजेश के मकान से कल्लू के मकान तक और किशन करिजार से किशन लाल के मकान से तक नई बस्ती तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	3.16	
			6. वार्ड मिशन कम्पाउड में वी.के. मिश्रा के मकान से भावन्त चौराहा राजमेरी झोम तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	3.33	
			7. वार्ड गार्डीवान में भीमसेन मन्दिर बाउण्ड्री के मकान से मुन्ना ठाकुर के मकान (नन्दू बक्शा वालों की गली) तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	2.77	
			8. वार्ड गार्डीवान में भीमसेन मन्दिर बाउण्ड्री के मकान से अशोक अग्रवाल के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	4.22	
			9. वार्ड वंशी गोहरा में पी.एल. मेमोरियल स्कूल से अशोक अग्रवाल के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	3.35	
			10. वार्ड गार्डीवान में भीमसेन मन्दिर रोड पर रामस्वरूप के मकान से सदस्य वाली गली में प्लॉट के सामने कैलाश तिवारी के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	3.70	
			11. वार्ड गार्डीवान में नवीहसन के मकान से श्याम बिहारी के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	2.25	
			योग-	37.92	18.96

(Handwritten Signature)

3	कासगंज	नगर पालिका परिषद, सोरों	1. श्री लकी थापक के दुकान से श्री विजयपति के मकान तक सड़क/नाली इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	8.20	
			2. कठपुला से कालिका भवन तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	26.76	
			योग-	34.96	17.48
4	झांसी	नगर पालिका परिषद, गुरसराय	1. श्री कपिल सिंह खजान्ची हाउस से श्री हिम्मत सिंह (मोहल्ला कतरा वार्ड 12) में इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	4.08	
			2. अपेक्स रोड से शिव हेयर हाउस से इरैच रोड तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	16.62	
			योग-	20.70	10.35
5	महराजगंज	नगर पालिका परिषद, महराजगंज	1. वार्ड नं. 11 आजाद नगर, नगर पालिका परिषद, महराजगंज में सेन्ट जोजफ स्कूल से नहारा पटरी तक सड़क निर्माण कार्य	25.00	
			2. वार्ड नं0 21 सिविल लाइन नगर पालिका परिषद, महराजगंज में इन्फ्रान्ट बाटा शॉप महराजगंज से निचलौल पिचरोड पश्चिम तक साइड पर पटरी एवं सड़क निर्माण कार्य	20.67	
			योग	45.67	22.835
6	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़	हाईडल चौराहे से विशाल सिनेमाहाल होते हुए नरोली तक इण्टरलाकिंग का कार्य	30.30	15.15
			योग	30.30	15.15
			महायोग -	194.77	97.385

(₹ सन्तानबे लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र)

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।